संख्या-I/298244/XIII–3/25/10(05)/2024

प्रेषक,

महिमा रौंकली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–3, **देहरादून, दिनांकः 16 मई, 2025।**

विषयः "उत्तराखण्ड कीवी नीति–2025" के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1590/कीवी नीति/2024–25, दिनांकः 18.10.2024 के सन्दर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में कीवी उत्पादन को आधुनिक/वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से बढ़ावा दिये जाने हेतु "उत्तराखण्ड कीवी नीति–2025" के संबंध में **संलग्नक–01** के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. राज्य के स्थानीय निवासियों को ही प्रस्तावित नीति का लाभ दिया जायेगा तथा एक परिवार को एक ही बार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जायेगा।
2. विभाग द्वारा योजना का तृतीय पक्ष निरीक्षण एवं मध्यावधि समीक्षा/मूल्यांकन कराया जायेगा।
3. नीति के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि को 80 प्रतिशत के स्थान पर 70 प्रतिशत करते हुए, तदनुसार ही धनराशि का आवंटन किया जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटरजनित ई संख्या–I/297838/2025, दिनांकः 15 मई, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
Digitally signed by Mahima
Date: 16-05-2025 12:50:27
(महिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मंत्रिपरिषद विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
8. कुलपति, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी, विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी।
9. कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, रेशम विभाग, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर, चमोली।
15. निदेशक, जैव प्रौद्योगिकी परिषद्, हल्दी, ऊधमसिंहनगर।
16. निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
17. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड उत्तराखण्ड।
18. निदेशक, उत्तराखण्ड बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण, देहरादून।
19. निदेशक, कैप, सेलाकुई, देहरादून।
20. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, देहरादून।
21. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद्, देहरादून।
22. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड औद्यानिक परिषद्, देहरादून।
23. निदेशक, बागवानी मिशन, देहरादून।
24. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)।
25. प्रबंधक निदेशक, उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक।
26. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि0, हल्दी, ऊधमसिंह नगर।
27. उप सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
28. समस्त मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी, उत्तराखण्ड/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार– द्वारा निदेशक, उद्यान।
29. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
30. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
31. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।

"संलग्नक–01"

उत्तराखण्ड कीवी नीति–2025

1. पृष्ठभूमि :

कीवी अर्थात् *एक्टिनिडिया डेलिसियोसा* (*Actinidia deliciosa*) की खेती बड़े पैमाने पर विश्व भर में की जाती है। चीन, न्यूजीलैंड और इटली इसके प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में कीवी की खेती प्रमुख रूप से उत्तरी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्रित है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्य शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश, भारत में शीर्ष कीवी उत्पादक राज्य हैं।

अनोखे स्वाद एवं स्वास्थ्यप्रद लाभ से पिछले कुछ वर्षों में भारत में कीवी फल की मांग में अत्याधिक वृद्धि हुई है, परन्तु, देश में मौजूदा उत्पादन, मांग के अनुरूप नहीं है। भारत में कीवी का आयात, घरेलू उत्पादन से अधिक है तथा वर्ष 2021–22 में आयात, घरेलू उत्पादन से चार गुना अधिक रहा। इसके अतिरिक्त, कीवी के मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे जूस, अचार, कैंडी आदि की मांग में भी बढ़त हुई है। यह घरेलू उत्पादन बढ़ाने, आयात पर आश्रय कम करने और किसानों के आय के अलग स्रोत उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है।

उत्तराखंड में कीवी का उत्पादन अभी भी छोटे पैमाने पर है, जिसकी खेती 682.66 हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जा रही है और उत्पादन 381.80 मिट्रिक टन (वर्ष 2022–23) है। इसका उत्पादन मुख्यतः उत्तरकाशी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में किया जाता है। उत्तराखंड की उत्पादकता 0.6 मिट्रिक टन/हेक्टेयर है, जो अपने भारतीय समकक्षों (मणिपुर में 10.6 मिट्रिक टन/हेक्टेयर और हिमाचल प्रदेश में 3.8 मिट्रिक टन/हेक्टेयर) और राष्ट्रीय औसत 3.1 मिट्रिक टन/हेक्टेयर से पीछे है। वैश्विक स्तर पर, न्यूजीलैंड 40.5 मिट्रिक टन/हेक्टेयर के साथ उत्पादकता में सबसे आगे है, उसके बाद ग्रीस 24.9 मिट्रिक टन/हेक्टेयर के साथ दूसरे स्थान पर है।

इस नीति के तहत राज्य में एण्ड–टू–एण्ड कीवी मूल्य श्रृंखला में विभिन्न पहलुओं को लागू करके उत्पादन को बढ़ावा देना है।

2. उद्देश्य :

उत्तराखंड कीवी नीति का लक्ष्य राज्य में कीवी उत्पादन को आगामी 6 वर्षों में मौजूदा स्तर से 140 गुना बढ़ाना एवं राज्य के कृषकों की आय में वृद्धि करना है तथा 7 नवीन पहलों द्वारा एण्ड–टू–एण्ड कीवी की मूल्य–श्रृंखला को सुदृढ़ करना है। इस मिशन का लक्ष्य उत्तराखंड में कीवी मूल्य श्रृंखला से संबंधित विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना और तकनीकी रूप से उन्नत कीवी खेती के लिए एक अनुकूल वातावरण विकसित करना है। अंततः इसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उत्तराखंड कीवी को ब्राण्ड के रूप में पहचान स्थापित करना है।

इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:–

i. कीवी उद्यानों की उत्पादकता बढ़ाकर उत्पादन स्तर में वृद्धि करना।
ii. तकनीकी सशक्तिकरण से किसानों की आय बढ़ाना।
iii. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके गांवों से पलायन कम करना।
iv. उत्तराखंड को कीवी के अग्रण्णी उत्पादक राज्य के रूप में स्थापित करना।
v. उत्तराखंड में उत्पादित कीवी को ब्राण्ड के रूप में स्थापित करना।

3. **विशेषताएं :**

तकनीकी रूप से उत्तम खेती की पद्धत्ति एवं कृषि–जलवायु के अनुकूल उचित गुणवत्ता वाली किस्मों का चयन करके, उत्तराखंड की कीवी उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। यह किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक प्रमुख साधन है, क्योंकि उसी भूमि पर संभावित रूप से अधिक लाभ मिल सकता है। वर्तमान कीवी खेती पद्धति की तुलना में तकनीकी रूप से उन्नत कीवी खेती की भिन्नताएं निम्नवत् है।

तालिका–01

तकनीकी रूप से सुदृढ और पारम्परिक बागों का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	सूचकांक	आधुनिक तरीके से विकसित बागान	पारम्परिक तरीके से विकसित बागान
01	पौधों की संख्या	अधिकतम भूमि उपयोग के लिए पौधों के बीच 06 मीटर × 04 मीटर की अनुकूलतम दूरी। कुल पौधों की संख्या–167 पौधे / एकड़	पौध से पौध की अनियमित दूरी 06 मीटर × 05 मीटर के कारण अकुशल खेती की जाती है। कुल पौधों की संख्या–133 पौधे / एकड़
02	उत्पादन	औसत उत्पादन 60 कि0ग्रा0 प्रति पौध से अधिकतम 100 कि0ग्रा0 प्रति पौध	अधिकतम 30–40 कि0ग्रा0 प्रति पौध
03	गुणवत्ता	कुल उत्पादन में से 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन ग्रेड ए की गुणवत्ता का होता है, अर्थात् फल का वजन 100 ग्राम से अधिक होता है।	कुल उत्पादन में से 10–15 प्रतिशत से कम उत्पादन ग्रेड ए की गुणवत्ता का होता है।
04	व्यावसायिक उत्पादन	पौधों में फलत तीसरे वर्ष से आना आरम्भ हो जाती हैं, व्यावसायिक उपज पंचम वर्ष से आरम्भ होती है।	फल की उपज आने में प्रायः 07–10 वर्ष लगते हैं तथा फल छोटे आकार के तथा उपज कम होती है।

इस नीति की विशेषताएं निम्नवत् हैं:–

i. आधुनिक कीवी उद्यान स्थापित करने के लिए बेस्ट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज (Package of Practices), प्रचालित करना।
ii. वैज्ञानिक पद्धति से बागान स्थापना तथा पौधों के लिए ट्रेलिस (Trellis) प्रणाली का प्रयोग करना।
iii. कृषि–जलवायु उपयुक्तता के आधार पर किस्मों का चयन।
iv. उन्नत सिंचाई तकनीकों का प्रयोग।
v. कीवी उत्कृष्टता केंद्र (CoE) की स्थापना।
vi. कृषि / बागवानी विश्वविद्यालयों / भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR) इत्यादि के अनुसंधान संस्थानों में उत्पादकों / कृषकों का अनिवार्य प्रशिक्षण कराना।

4. **अवधि :**

यह नीति 31 मार्च, 2031 तक प्रभावी रहेगी। यह नीति पूर्व में निर्गत उन सभी नीतियों/मिशनों/आदेशों/परिपत्रों को प्रतिस्थापित करेगी, जो इस नीति के प्राविधानों के अनुरूप नहीं है। राज्य सरकार आवश्यकतानुसार, इस नीति की अवधि बढ़ा या घटा सकती है।

5. **आच्छादन (Coverage) :**

राज्य में कीवी बागवानी हेतु जनपदों के निम्नवत् विकास खण्डों को चिन्हित किया गया है:–

क्र0सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड
1.	देहरादून	चकराता, कालसी, रायपुर।
2.	उत्तरकाशी	भटवाड़ी, डुण्डा, मोरी, पुरोला, चिन्यालीसोड़, नौगांव।
3.	पौड़ी	कल्जीखाल, कोट, खिर्सू, पौड़ी, पोखड़ा, नैनीडाण्डा, बीरोंखाल, रिंखणीखाल।
4.	टिहरी	चम्बा, धौलधार, जौनपुर, भिलंगना, प्रतापनगर, कीर्तिनगर, जाखणीधार।
5.	रूद्रप्रयाग	जखोली, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ।
6.	चमोली	दशोली, जोशीमठ, पोखरी, घाट, देवाल, कर्णप्रयाग, गैरसैण, नारायणबगड, थराली।
7.	नैनीताल	रामगढ़, ओखलकांडा, धारी, भीमताल, बेतालघाट।
8.	अल्मोड़ा	हवालबाग, ताकुला, लमगड़ा, धौलादेवी, ताड़ीखेत, द्वाराहाट, सल्ट।
9.	पिथौरागढ़	बिण, मूनाकोट, कनालीछीना, डीडीहाट, बेरीनाग, गंगोलीहाट, मुनस्यारी एवं धारचूला।
10.	बागेश्वर	कपकोट, गरूड़, बागेश्वर।
11.	चंपावत	चंपावत, लोहाघाट, पाटी, बाराकोट।

6. **लक्ष्य :**

इस नीति का उद्देश्य किसानों को तकनीकी रूप से उन्नत कीवी उद्यान लगाने के लिए आवश्यक तकनीकी, वित्तीय और क्रियान्वयन सहायता प्रदान करना है। नीति का लक्ष्य 2030 तक 3,500 हेक्टेयर क्षेत्र में नये कीवी उद्यान लगाना है, जिसके लिए निम्नलिखित वार्षिक लक्ष्य प्रस्तावित किए जाते हैं:–

तालिका–02

क्षेत्रफल विस्तार लक्ष्य

वर्ष	2025–26	2026–27	2027–28	2028–29	2029–30	2030–31	कुल
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	100	300	500	800	800	1000	**3,500**

7. **लागत मानदंड :**

तालिका–03

01 एकड पर कीवी उद्यान स्थापित किये जाने हेतु अनुमानित लागत मानदंड

क्र. स.	घटक	लागत (रुपये / एकड़)
1	भूमि विकास	60,000
2	गड्ढा खुदान एवं भरान	50,000
3	रोपण सामग्री पौधे से पौधे की दूरी 6 मी0, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 मी0, पौधे / एकड़–167 पौधे, रिक्तता पूर्ति (Gap-Filling)– 25 प्रतिशत –41 पौधे, कुल पौधे– 208 पौधे।	58,000
4	टपक (Drip) सिंचाई और जल संचयन प्रणाली	65,000
5	ट्रेलिस (Trellis) और गैल्वेनाइज्ड गेज (Galvanized Gauge) तार की स्थापना	6,10,000
6	गैल्वनाईज्ड जी0आई0 चेन लिंक्ड घेरबाड़ (लोहे के खम्बों सहित)	3,00,000
7	खेती के उपकरण	10,000
8	पौध संरक्षण रसायन / विकास नियामक / उर्वरक	15,000
9	विविध लागतें (गेट, बोर्ड, कटाई उपरान्त प्रबंधन जैसे–प्लास्टिक क्रेट्स, कोरोगेटेड फाइबर बॉक्स (आदि)	32,000
	कुल–	**~12,00,000**

नोट :

i. भविष्य में लागत मूल्य में वृद्धि होने पर, लागत मानदण्ड में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत संशोधन किये जा सकेंगे।

ii. लागत अनुमान को पूर्णांकित किया गया है।

iii. पौधों का अनुपात– 09 मादा : 01 नर।

iv. उक्त तालिका में मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना (CMRKVY) के अंतर्गत Integrated Package with Drip Irrigation and Trellis System योजना के मानकों / विशिष्टियों में यथावश्यक संशोधन किये गये हैं।

v. सिंचाई एवं जल संचयन प्रणाली हेतु PMKSY के अंतर्गत लाभ अनुमन्य होंगे।

vi. घेरबाड़ हेतु यथासंभव बायोफेंसिंग किया जायेगा, यह जहाँ एक ओर किफायती है, वहीं दूसरी ओर इनवॉयरमेंट फ्रेंडली है।

vii. पौध रोपण सामग्री, कृषक इत्यादि किसी भी पंजीकृत नर्सरी से प्राप्त कर सकेगा।

8. **पात्रता** :

कृषक, पंजीकृत सहकारी संघ, स्वयं सहायता समूह, पंजीकृत पट्टाधारक आदि आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। पंजीकृत पट्टाधारक से आशय ऐसे कृषक/समूह से है, जिन्होंने नियमतः बागान स्थापना हेतु कृषि योग्य भूमि न्यूनतम 25 वर्ष के पट्टे पर ली हो। योजना में प्रोत्साहन न्यूनतम 2 नाली (0.04 हेक्टेयर) से 50 नाली (01 हेक्टेयर) तक की भूमि के क्षेत्रफल पर व्यक्तिगत लाभार्थी (समूह की दशा में 05 हे0 क्षेत्रफल तक) को 70 प्रतिशत अनुदान तथा 50 नाली (01 हे0) से अधिक भूमि के क्षेत्रफल पर व्यक्तिगत लाभार्थी (समूह की दशा में 05 हे0 से अधिक क्षेत्रफल) को 50 प्रतिशत राज सहायता प्रदान किया जाएगा, जिसकी गणना बागवानी हेतु उपयुक्त भूमि के आकार के अनुसार आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

9. **प्रोत्साहन** :

पात्र लाभार्थी को कुल लागत मानदंड रू0 12.00 लाख/एकड़ के आधार पर राज सहायता देय होगी तथा अवशेष 30 से 50 प्रतिशत अंश, उसे स्वयं वहन करना होगा। चयनित कृषक इत्यादि, सहकारिता विभाग द्वारा संचालित दीन दयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य अभिसरण विकल्प भी मान्य होंगे।

इस प्रकार कीवी बागान स्थापना कार्य समाप्ति उपरान्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट सम्बन्धित घटक का भुगतान प्रथम वर्ष में शत प्रतिशत देय होगा तथा पौध रोपण सामग्री पर अनुदान भुगतान, बागान स्थापना वर्ष (प्रथम वर्ष) में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष मे 20 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष में 10 प्रतिशत देय होगा।

कृषक/चयनित फर्म/संस्था को कार्य समाप्ति तथा नियमानुसार सत्यापन उपरान्त, अनुदान का भुगतान, Digital Payment Modes यथाः DBT/CBDC/E-RUPI इत्यादि के माध्यम से किया जायेगा।

10. **क्रियान्वयन** :

आवेदन एवं लाभार्थी चयन प्रक्रिया :

1. आवेदक द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार, जनपद स्तर पर गठित समिति का होगा। कृषकों/समूहों का चयन **'पहले आओ–पहले पाओ'** के आधार पर किया जायेगा।
2. आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त क्षेत्र सत्यापन कर, मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ कोटद्वार, जनपद स्तरीय समिति द्वारा आवेदन के अनुमोदन या अस्वीकृति के बारे में, कृषकों को ऑनलाईन सूचित करेंगे।
3. चयनित कृषक/समूह, विभाग द्वारा सूचीबद्ध बागान स्थापना फर्म/संस्था में से किसी एक संस्था/फर्म का अपनी इच्छा से चयन कर सकते हैं। यदि कृषक/समूह, सूचीबद्ध फर्मों/संस्थाओं में से किसी से भी कार्य करवाने का इच्छुक न हो तो, वह स्वयं भी बागान स्थापित करने का कार्य कर सकता है।

11. **योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की भूमिका एवं उत्तरदायित्व** :

(अ) कृषक/कृषक समूहों की भूमिका एवं दायित्व :

1. जिला स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा आवेदन स्वीकृति पश्चात, यदि बागान स्थापना कृषक द्वारा

स्वयं की जाती है, तो कृषक अंश धनराशि स्वयं, उसके द्वारा व्यय की जायेगी तथा यदि विभाग द्वारा पंजीकृत फर्म द्वारा की जाती है, तो कृषक अंश धनराशि, कृषक द्वारा राम्बन्धित फर्म को देय होगी। लाभार्थी को इस प्रकार, व्यय धनराशि के सत्यापित अभिलेख यथा: बिल्स, बाऊचर्स इत्यादि मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ कोटद्वार को उपलब्ध करानी होगी।

2. योजना से स्थापित कीवी बागान की देख–रेख की जिम्मेदारी कृषक एवं सम्बन्धित फर्म (फर्म द्वारा बागान स्थापित होने पर) की होगी। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारी एवं सम्बन्धित कर्मचारी, समय–समय पर प्रक्षेत्र में भ्रमण कर तकनीकी मार्ग निर्देशन उपलब्ध करायेंगे।
3. लाभार्थी द्वारा योजना का कुल 30 से 50 प्रतिशत (कृषक अंश) का वहन किया जायेगा। कृषक अंश की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वयं या सहकारिता विभाग की दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत अथवा अन्य किसी सुसंगत योजना से ऋण लेकर की जा सकती है।
4. कृषक/समूहों द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रतिभाग करते हुए निरीक्षणोपरान्त, संयुक्त निरीक्षण आख्या पर हस्ताक्षर करना होगा।
5. कृषक द्वारा स्वयं बागान स्थापना की दशा में बागान संरचना रिपोर्ट कृषक द्वारा तैयार करायी जायेगी। इस कार्य हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा मार्ग निर्देशन एवं सहयोग किया जायेगा।
6. पौध रोपण सामग्री, उद्यान विभाग द्वारा समय–समय पर तय किये गये मानकों एवं पौध गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। उक्तानुसार पौध रोपण सामग्री, स्थापित प्रक्रिया अनुसार विभाग द्वारा कृषकों को आवंटित की जायेगी। कृषक इत्यादि स्वयं भी पंजीकृत पौधशालाओं से पौध रोपण सामग्री क्रय कर सकेगा।
7. प्राप्त पौध रोपण सामग्री पर अनुदान भुगतान, बागान स्थापना वर्ष (प्रथम वर्ष) में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 20 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष में 10 प्रतिशत देय होगा। यदि कृषक इत्यादि द्वारा पौध रोपण सामग्री स्वयं क्रय की जाती है, तो अनुदान कृषक इत्यादि को तथा यदि आवंटन निदेशालय द्वारा प्राप्त होता है, तो भुगतान संबन्धित पौधशाला को किया जायेगा।

(ब) <u>उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमिका एवं उत्तरदायित्व</u> :

1. योजना के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण विभाग, नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।
2. विभाग द्वारा योजना को बढ़ावा देने हेतु प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराये जायेंगे।
3. चयनित लाभार्थियों के प्रक्षेत्रों में बागान स्थापना किये जाने हेतु विभाग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फर्मों का पंजीकरण करेगा। पंजीकृत फर्मों की सूची से लाभार्थी, अपनी इच्छानुसार कार्य किये जाने हेतु फर्म का चयन करेगा।
4. बागान स्थापित करने वाली संस्था/फर्म तथा कृषकों को विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) से मान्यता प्राप्त, उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम 2019, उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली 2021 द्वारा पंजीकृत नर्सरी/संस्था आदि की जानकारी

दी जायेगी, ताकि सम्बन्धित फर्म/संस्था/कृषक, उक्त नर्सरियों/संस्थाओं से गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री प्राप्त कर सके।

5. एल–1 फर्म की सहमति उपरान्त, एल–1 दरों पर तकनीकी रूप से सफल अन्य फर्म/संस्थायें भी बागान स्थापना हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध की जा सकती हैं। लाभार्थी द्वारा संस्था का चयन करने के उपरान्त, उद्यान विभाग द्वारा सूचीबद्ध होने वाली फर्म/संस्था को बागान स्थापित करना होगा।
6. विभाग द्वारा कृषकों/समूहों को आवश्यकतानुसार तकनीकी सलाह/मार्ग दर्शन एवं जानकारी यथाः कीवी पौध की प्रजाति के बारे में जानकारी, उपलब्ध कराई जायेगी। आवेदन पत्र जमा करने आदि में सहायता करना और लाभार्थी कृषकों/समूहों के लिए प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कराना भी विभाग का दायित्व होगा।
7. चयनित फर्म/संस्था द्वारा प्रस्तुत विस्तृत बागान संरचना के मूल्यांकन एवं परीक्षणोपरान्त तथा विभाग की संस्तुति उपरान्त, जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा मुख्यतः कृषकों का चयन भूमि की उपलब्धता, चयनित किस्म की जानकारी, क्लस्टर अवधारणा के अनुरूप **'पहले आओ–पहले पाओ'** के आधार पर किया जायेगा।
8. चयनित लाभार्थियों के बाग के स्थापना की प्रगति एवं मूल्यांकन, समय–समय पर विभाग द्वारा गठित संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दल द्वारा किया जायेगा।
9. नर्सरी पौध की गुणवत्ता/सत्यापन/True to Type प्रजाति का सत्यापन, विभाग द्वारा शत प्रतिशत आधार पर किया जायेगा।
10. जिन क्षेत्रों में कीवी बागान स्थापित किये जाने हैं, उन क्षेत्रों में पौध रोपण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व विभिन्न कार्यशाला/संगोष्ठी आयोजित किये जायेंगे, ताकि कृषकों को उन्नत तकनीकों, प्रजातियों की जानकारी दी जा सके, जिससे कृषक जागरूक होकर प्रजाति का चयन, बाजार की मांग एवं उसकी भूमि का प्रकार, सिंचाई जल की उपलब्धता, भूमि के ढलान इत्यादि को ध्यान में रखकर कर सकें।
11. आवेदक की भूमि से मृदा परीक्षण किये जाने हेतु उद्यान विभाग, कृषि विभाग के समन्वय से कार्य करेगा तथा आवेदक को मृदा जांच आख्या उपलब्ध करायेगा।

(स) <u>कीवी उद्यान स्थापना हेतु चयनित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फर्म की भूमिका एवं दायित्व</u> :

1. विभाग द्वारा चयनित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फर्म/संस्था का दायित्व होगा कि कृषक/समूहों के चयनोपरान्त, उनके सहयोग एवं विभाग के मार्ग निर्देशन में विस्तृत बागान संरचना रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें बगीचे का रेखांकन, पानी की उपलब्धता, ढलान की दिशा एवं ऊँचाई अनुसार प्रजातियों आदि का उल्लेख हो।
2. चयनित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फर्म/संस्था द्वारा उद्यान विभाग के दिशा–निर्देशों एवं कृषक की अनुमति उपरान्त, निर्धारित समय अवधि में कीवी बागानों की स्थापना हेतु आवश्यक कार्य कृषक प्रक्षेत्र पर कराए जायेंगे।
3. योजना के अन्तर्गत चयनित संस्था को कीवी बागान स्थापना हेतु ट्रैलिस सिस्टम, सूक्ष्म सिंचाई सुविधा आदि योजना में दिये गये मानकों के अनुरूप आवश्यकतानुसार व्यवस्था कर स्थापित करना होगा।
4. चयनित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फर्म/संस्था द्वारा संयुक्त निरीक्षण दल में प्रतिभाग करते हुए, मूल्यांकन में सहयोग करना होगा तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या पर हस्ताक्षर करने होंगे।

5. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म को कार्य समाप्ति तथा संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा सत्यापन उपरान्त, मदवार भुगतान किया जा सकेगा।
6. चयनित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फर्म/संस्था द्वारा स्थापित कीवी बागान में निम्न गुणवत्ता के कार्यों की शिकायत मिलने पर इसकी जॉच सक्षम स्तर से कराई जायेगी, यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो सम्बन्धित फर्म/संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. नर्सरी/संस्था/फर्म द्वारा कीवी पौध रोपण सामग्री की प्रजाति से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी तथा पौध रोपण सामग्री के आयात की तिथि, Quarantine Certificate एवं नर्सरी में मातृ वृक्ष प्रखण्ड आदि का पूर्ण विवरण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. सम्बन्धित जनपदों के कृषि विज्ञान केन्द्र संयुक्त निरीक्षण समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे तथा बागान स्थापना एवं देख–रेख में कृषकों की सहायता करेंगे। इस कार्य हेतु विभाग, सम्बन्धि कृषि विज्ञान केन्द्र से समन्वय स्थापित करते हुए, उनका सहयोग प्राप्त करेंगे।

(द) <u>उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की भूमिका एवं दायित्व (यदि प0 दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना या अन्य योजना से ऋण लेता है तो ही लागू होगा)</u>

1. योजना के सफल क्रियान्वयन में विभाग की सहायता के लिए बैंक द्वारा जोनल/क्षेत्रीय, मुख्यालय स्तरों पर अधिकारी नामित करना होगा, जो उद्यान विभाग को सहयोग प्रदान करेगा। इस कार्य हेतु सहकारिता विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश शासन स्तर से जारी किये जायेंगे।
2. योजनान्तर्गत कृषकों/समूहों को योजना के मानकों के अनुसार पं0 दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना अथवा अन्य योजना से ऋण उपलब्ध कराना एवं संयुक्त स्थलीय निरीक्षण समिति के साथ स्थलीय निरीक्षण में प्रतिभाग करना होगा।
3. ऋण प्रदानकर्ता बैंक द्वारा यदि स्थलीय निरीक्षण हेतु उद्यान विभाग के प्रतिनिधि अधिकारी की आवश्यकता हो, तो विभागीय अधिकारियों से मांग की जा सकेगी। मांग प्राप्त होने पर उद्यान विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु प्रतिभाग किया जायेगा।

12. <u>पर्यवेक्षण प्रक्रिया</u> :

i. इस नीति के पर्यवेक्षण के लिए एक उच्चाधिकार समिति (HPC) होगी, जिसकी संरचना निम्नवत् होगी:–

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य सचिव
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आयुष, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य

9.	निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर	सदस्य
10.	निदेशक, सगन्ध पौधा केंद्र, सेलाकुई, देहरादून	सदस्य
11.	रागन्ध क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान के निदेशक या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
12.	कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर	सदस्य
13.	कुलपति, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी	सदस्य
14.	मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)	सदस्य
15.	महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान	सदस्य
16.	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	सदस्य

यह समिति, नीति की किसी भी समय समीक्षा कर सकेगी, परन्तु प्रति अर्द्धवार्षिक आधार पर अपरिहार्य रूप से समीक्षा करेगी, जो कि नीति के नियोजन, क्रियान्वयन, प्रगति एवं मूल्यांकन इत्यादि का अनुश्रवण एवं समीक्षा कर सकेगी।

समिति, नीति में किसी प्रकार की अस्पष्टता को स्पष्ट करने हेतु सक्षम होगी, नीति में किसी प्रकार की कठिनाईयों के निवारण हेतु निर्णय ले सकेगी। उच्चाधिकार समिति, नीति के सरल, सहज एवं सुगम क्रियान्वयन हेतु किसी प्रकार का संशोधन इत्यादि करने हेतु निर्णय ले सकेगी।

ii. <u>राज्य स्तरीय निगरानी समिति</u> :

इस नीति के अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए एक राज्यस्तरीय निगरानी समिति होगी, जिसकी संरचना निम्नवत होगी:–

1.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, आयुष, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
9.	महानिदेशक, कृषि एवं उद्यान	सदस्य सचिव
10.	निदेशक, कृषि	सदस्य
11.	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	सदस्य
12.	मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)	सदस्य
13.	प्रबंधक निदेशक, उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक	सदस्य

14.	निदेशक, शोध एवं प्रसार, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर	सदस्य
15.	निदेशक, शोध एवं प्रसार, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी	सदस्य

iii. जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति :

इस नीति के क्रियान्वयन के लिए एक जनपदस्तरीय क्रियान्वयन समिति होगी, जिसकी संरचना निम्नवत् होगी:–

1.	जिला अधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3.	मुख्य / जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य सचिव
4.	मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
5.	जिला विकास प्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)	सदस्य
6.	प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य

13. राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) :

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समस्त योजनाओं के अनुश्रवण, आंकलन एवं समय पर एक सहायता हेतु निदेशालय स्तर पर एक राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) का गठन (यदि पूर्व से गठित नहीं है) किया जाएगा।

14. मूल्यांकन :

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नीति के क्रियान्वयन की स्थिति तथा नीति द्वारा सृजित प्रभाव का आंकलन करने के लिए नीति लक्ष्यों के सापेक्ष समय–समय पर प्रगति की समीक्षा करेंगे। समीक्षा, नीति क्रियान्वयन के दूसरे, चौथे और छठे वर्ष में की जाएगी। मूल्यांकन किये जाने वाले मापदंड निम्नानुसार होंगे, परन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं रहेंगे:–

i. प्रत्येक वर्ष किसानों द्वारा आवेदनों की संख्या और भूमि आच्छादन (Coverage) लक्ष्यों की प्राप्ति।
ii. योजनान्तर्गत स्थापित कीवी उद्यानों की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
iii. विभिन्न हितधारकों हेतु परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का अनुपालन।

सूचीबद्ध मापदंडों के अलावा, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग / समीक्षा करने वाली अन्य एजेंसी, आवश्यकतानुसार मूल्यांकन के अतिरिक्त मापदंडों को शामिल कर सकता है। समीक्षा प्रक्रिया के परिणामों के आधार पर उच्चाधिकार समिति (HPC), परिस्थिति अनुरूप संशोधित दिशा–निर्देश जारी करने और योजना को जारी रखने / बंद करने / संशोधित करने जैसे निर्णय ले सकती है।

15. प्रकीर्ण :

15.1. निरसन :

यह नीति, कीवी खेती के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना (CMRKVY) के घटक Integrated Package with Drip Irrigation and Trellis System का स्थान लेगी।

परन्तु, उक्त घटक के अंतर्गत लंबित देयों का भुगतान, उसके दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

15.2. <u>लाभ दुहराव की रोकथाम</u> :

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना (CMRKVY) के घटक Integrated Package with Drip Irrigation and Trellis System के अंतर्गत, जिन कृषकों अथवा समूहों को कीवी की खेती करने हेतु, यदि कोई लाभ प्राप्त हो चुका है, तो उसे पुनः वह लाभ, इस नीति के अंतर्गत देय नहीं होगा, परन्तु इस नीति के अंतर्गत अन्य लाभ देय होंगे।

15.3. <u>वसूली एवं पेनाल्टी</u> :

क. जो कोई कृषक अथवा समूह, इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि एवं आदानों (Inputs) का दुरूपयोग करेगा, उस सम्पूर्ण धनराशि की वसूली, उससे की जायेगी।

ख. वसूल की जाने वाली सम्पूर्ण धनराशि के बराबर ही पेनाल्टी अतिरिक्त रूप से आरोपित की जायेगी।

ग. वसूल की जाने वाली सम्पूर्ण धनराशि एवं पेनाल्टी की धनराशि की वसूली, भू–राजस्व की वसूली की भाँति की जायेगी।

घ. डिफॉल्टर कृषक अथवा समूह, भविष्य में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभों हेतु अनर्ह घोषित हो जायेगा।

ङ. वसूली एवं पेनाल्टी के संबंध में आदेश, निदेशक उद्यान के स्तर से जारी किया जायेगा।

च. निदेशक, उद्यान के आदेश के विरूद्ध अपील, महानिदेशक कृषि एवं उद्यान को जा सकती है। अपील में पारित आदेश, अंतिम होगा।

———

परिशिष्ट–I

Financial Aspects

1. इस कीवी नीति का उद्देश्य राज्य में आधुनिक कीवी बाग स्थापित करने एवं कीवी की उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से कीवी के वर्तमान उत्पादन को 140 गुना बढ़ाना है। इस कार्य हेतु किसानों को 3,500 हेक्टेयर अथवा 8,650 एकड़ भूमि पर बाग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनकी उत्पादकता, पारंपरिक बागों से अधिक होगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि लाई जा सकेगी। इन बागों की स्थापना लागत निम्नानुसार होगी :–

S. No.	Specification	Cost (INR/acre)
1	Land development	60,000
2	Pit digging and filling	50,000
3	Planting material[1]+ gap filling (25%)	58,000
4	Drip irrigation and water harvesting system	65,000
5	Trellis and galvanized gauge wire installation	6,10,000
6	Chain link fencing[2]	3,00,000
7	Farming tools	10,000
8	Plant protection inputs /growth regulators	15,000
9	Miscellaneous costs (gate, board, post-harvest management- plastic crates, corrugated fiber boxes etc.)	32,000
Total		**~12,00,000**

2. Farmers will be told the varieties of Kiwi they can grow as per agro-climatic suitability of their land and the location. Given high cost for setup of modern Kiwi orchards, a subsidy structure has been proposed to incentivize farmers as below:

S. No.	Cost Category	Contribution	Cost (INR)
1	Farmer Share	20%	2,40,000
2	Government Share	**80%**	**9,60,000**
Total Cost		100%	12,00,000

3. The year-wise land coverage targets for Kiwi orchards are given below:

Year	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	Total
Area (Ha)	100	300	500	800	800	1,000	3,500
Area (acres)	247	741	1236	1977	1977	2471	8649

[1]Plant ratio to be maintained at 9 female:1 male
[2]As per CMRKVY

4. The overall budget outlay including subsidy outlay basis the setup cost and land coverage targets under Kiwi cultivation, admin cost @5% of total subsidy and training cost are given below:

S No.	Particulars	Incentive Outlay (INR Cr)
1	Total Cost of Cultivation	**1039**
2	Total farmer contribution	**208**
3	Total Subsidy on setup cost	**831**
4	Admin Cost @5%	**42**
5	Training Cost	**21**
6	Total incentive (INR Cr) (3+4+5)	**894**
7	Total Project Cost (INR Cr) (1+4+5)	**1,102**

*** Cost estimates are rounded off*

5. The subsidy outlay under this Policy shall be financed from State Government Budget and Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY).The details of distribution of costs to be met through different sources are as below:

S No.	Year	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	Total
1	Farmer's share (20%)	6	18	30	48	48	59	208
2	Subsidy (80%)	24	71	119	190	190	238	831
3	From PMKSY	1	3	5	7	7	9	31
4	From State Budget	23	68	114	183	183	229	800
Total (INR Cr)		**30**	**89**	**148**	**238**	**238**	**297**	**1039**

*** Cost estimates are rounded off*

6. The year-on-year State Government subsidy outlay basis the land coverage targets and set-up costs for Kiwi orchards along with the administrative costs which would be incurred during implementation of the policy is expected to be as follows:

S No.	Year	Subsidy Outlay (INR Cr)
1	1	24
2	2	71
3	3	119
4	4	190
5	5	190
6	6	238
Total		**831**
Admin Cost @5%		**42**
Total Subsidy outlay		**873**

*** Cost estimates are rounded off*

7. The policy also includes training of beneficiaries (farmers) and field staff (concerned officers, supervisors, gardeners, and other staff) and exposure visits. These trainings can be done at any of the following:

1. Model Orchards
2. State Agriculture Universities (SAU's)
3. Y S Parmar, Nauni
4. Central Institutes of Temperate Horticulture
5. ICAR Institutes
6. Center of Excellence
7. Training Centers of Department of Horticulture

Estimate for the year-on-year training costs to be borne by the Department is given below:

S No.	Year	Total Training Cost (INR Cr)
1	1	0.6
2	2	1.8
3	3	3.0
4	4	4.8
5	5	4.8
6	6	6.0
	Total	**21.1**

8. The Policy is projected to have a huge impact in Uttarakhand by scaling the value chain from **~INR 4 Cr to ~INR 550 Cr by 2031**. This policy targets to cover**3,500 Ha of land** under Kiwi cultivation, which is estimated to affect **15,000 – 20,000 farmers**in the hilly districts of Uttarakhand, providing them employment opportunities and increasing their income.

परिशिष्ट–II

Cost-Benefit Analysis

Opex	15%	of total set up cost							
Escalation	5%								
Kiwi cost of cultivation	1200000	per acre							
Kiwi commercial value - 15 years									
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9
Cost	2964000	444600	466830	490172	514680	540414	567435	595807	625597
Revenue		673920	2048717	3503311	3993775	4193280	4361011	4535452	4716870
Margin	-2964000	229320	1581887	3013139	3479095	3652866	3793576	3939645	4091273
Net Benefit	20777253								
policy share	2371200								
Incremental revenue	8.76234	1	8.76234						

Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15
656877	689721	724207	760417	798438	838360
4905545	5101766	5305837	5518070	5738793	5968345
4248668	4412046	4581630	4757654	4940356	5129985

Kiwi plantation is subsidised under the kiwi cultivation policy, incurring a one-time cost from the government and yielding benefits for upto 15 years. Investing INR 1 today in the setup cost, which is provisioned to receive 80% subsidy under this policy, can yield incremental revenue of ~INR 9 for Kiwi. This demonstrates significant economic net benefit of the policy, highlighting it's potential to drive substantial returns on investments.

Note: Source for opex – Progressive Kiwi Farmer

Prod/plant (kg)	-	15	40	60	60	60	60	60
Total production/Ha (kg)	-	6,240	16,640	24,960	24,960	24,960	24,960	24,960
Total with loss(MT) - 2025	-	499	1,331	1,997	1,997	1,997	1,997	1,997
Total with loss(MT) - 2026	-	-	1,498	3,994	5,990	5,990	5,990	5,990
Total with loss(MT) - 2027	-	-	-	2,496	6,656	9,984	9,984	9,984
Total with loss(MT) - 2028	-	-	-	-	3,994	10,650	15,974	15,974
Total with loss(MT) - 2029	-	-	-	-	-	3,994	10,650	15,974
Total with loss(MT) - 2030	-	-	-	-	-	-	4,992	13,312
Total Net Production	-	499	2,829	8,486	18,637	32,614	49,587	63,232
Price (Rs / MT)		108000	123120	140357	160007	168,000	174,720	181,709
Value (Crs)		**5**	**35**	**119**	**298**	**548**	**866**	**1,149**
Value per Ha		**673,920**	**2,048,717**	**3,503,311**	**3,993,775**	**4,193,280**	**4,361,011**	**4,535,452**

60	60	60	60	60	60	60
24,960	24,960	24,960	24,960	24,960	24,960	24,960
1,997	1,997	1,997	1,997	1,997	1,997	1,997
5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990
9,984	9,984	9,984	9,984	9,984	9,984	9,984
15,974	15,974	15,974	15,974	15,974	15,974	15,974
15,974	15,974	15,974	15,974	15,974	15,974	15,974
19,968	19,968	19,968	19,968	19,968	19,968	19,968
69,888	69,888	69,888	69,888	69,888	69,888	69,888
188,977	196,536	204,398	212,574	221,077	229,920	239,116
1,321	**1,374**	**1,428**	**1,486**	**1,545**	**1,607**	**1,671**
4,716,870	**4,905,545**	**5,101,766**	**5,305,837**	**5,518,070**	**5,738,793**	**5,968,345**

(महिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।